राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की पूर्ण पीठ ने की जनसुनवाई • चौकी और थानों के मामलों को लेकर भी दिए निर्देश

ऊपरवाले का तो ख्याल करो डॉक्टर, बच्चे का पूर्व में बना निशक्तता प्रमाण पत्र कैसे कैंसिल कर सकते हो, नियम बताओ?: जस्टिस व्यास

ईएनटी डॉक्टरों ने 8% तो एम्स ने 90% निशक्त माना, पुलिस अफसर पिता का आरोप: सही प्रमाणपत्र के लिए एमडीएमएच के डॉक्टर मांग रहे हैं घूस

1 मार्च

तीगत रिपोर्टर | जोधपुर

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास, सदस्य जस्टिस महेशचंद्र शर्मा व सदस्य महेश गोयल की पूर्ण पीठ ने गुरुवार को जनसुनवाई की। एक बच्चे का पूर्व में जारी निशक्तता प्रमाण पत्र निरस्त करने के मामले में अध्यक्ष जस्टिस व्यास ने डॉक्टर से पूछा कि किस नियम या अधिकार के तहत इसे निरस्त किया, क्या ऐसा कोई नियम है तो बताएं? आयोग ने इस मामले में कलेक्टर को जांच करने को कहा। एमडीएमएच के ईएनटी विभाग के प्रोफेसर डॉ. नवनीत अग्रवाल को फटकार लगाते हुए उन्हें मेडिकल बोर्ड से हटाने के निर्देश दिए।

सुबह 11 बजे डीआरडीए हॉल में जनसुनवाई शुरू हुई। एएसपी नरपतचंद्र के परिवाद पर अध्यक्ष जस्टिस व्यास ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. गुलजारीलाल मीणा से पूछा कि सीएम के गृह क्षेत्र में क्या हो रहा है? किसी डॉक्टर द्वारा पूर्व में जारी निशक्तता प्रमाण पत्र को कैसे कैंसिल किया जा सकता है? इस पर डॉ. मीणा ने कहा कि दुबारा बोर्ड बनाकर मेडिकल जांच की जा रही है। व्यास ने कहा कि एम्स ने 90% निशक्तता का सर्टिफिकेट दिया व उसी बच्चे को 8 व 14% निशक्तता का सर्टिफिकेट कैसे जारी किया जा सकता है? क्या दूसरे एक्सपर्ट नहीं हैं, इन्हें हटाइए। कहां हैं डॉक्टर? इस पर बताया कि आ रहे हैं, बाहर खड़े हैं। काफी देर इंतजार के बाद भी उनके नहीं आने पर जस्टिस व्यास व सदस्य शर्मा तथा कलेक्टर ने भी नाराजगी जताई। थोड़ी देर बाद डॉ. अग्रवाल आए तो जस्टिस व्यास ने उनसे पूछा कि जो सुन नहीं सकता है और आप उसका सर्टिफिकेट निरस्त कर रहे हैं, ऊपरवाले का तो ख्याल कीजिए। आपने ऐसे कितने सर्टिफिकेट कैंसिल किए, उनकी संख्या बताओ? डॉ. अग्रवाल से जवाब देते नहीं बन रहा था, तब जस्टिस व्यास ने उन्हें पानी ऑफर कर कहा कि घबराओ मत, आप बताओ किस नियम के तहत सर्टिफिकेट कैंसिल किया? कोर्ट ने कलेक्टर से इस मामले की जांच पुलिस या किसी अन्य अफसरों से कराने को कहा। हालांकि डॉ. अग्रवाल ने स्पष्टीकरण दिया, लेकिन आयोग संतुष्ट नहीं हुआ।

डॉ. नवनीत अग्रवाल से सवाल-जवाब करते मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास।

एफआर दर्ज होने पर एसएचओ ने मांगा कंपनसेशन

तत्कालीन रातानाडा थानाधिकारी भूपेंद्र चारण ने उसके खिलाफ एसीबी द्वारा मामला दर्ज करने तथा अनुसंधान में एफआर लगने के बाद मानसिक प्रताड़ना के लिए कंपनसेशन दिलाने का आग्रह किया। जस्टिस व्यास ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि यूं तो कोई भी झूठे मुकदमे दर्ज करवा देगा तो फिर काम कैसे होगा? मामले में तुरंत एसीबी के डीआईजी विष्णुकांत को बुलाया गया। वे आए और बोले, इसमें एफआर लगा दी गई है और परिवादी ने प्रोटेस्ट दायर की है। जस्टिस व्यास ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन झूठा मुकदमा दर्ज कराने पर परिवादी के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? क्या उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 182 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई? कोर्ट ने परिवादी के खिलाफ क्या एक्शन लिया है, यह दो सप्ताह में आयोग को अवगत कराने को कहा है।

नवचौकिया पुलिस चौकी खुलेगी

जस्टिस व्यास ने कहा कि सी साल पुरानी नवचौकिया पुलिस चौकी बंद कर दी गई। इसके लिए लड़कियों ने उलाहना दिया, कि यूं तो घणी बातां करो, थाणो ही बंद करा दियो। जस्टिस व्यास ने कहा कि पूरे क्षेत्र में पुलिस चौकी व थाना नहीं है। इस पर डीसीपी धर्मेंद्रसिंह यादव ने बताया कि पुलिस कमिश्नर ने पुलिस चौकी वापस खोलने की अनुमति दे दी है, शीघ्र ही खोल दी जाएगी।

थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश

आरटीआई कार्यकर्ता नंदलाल व्यास ने आयोग के संज्ञान में लाया कि थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का साढ़े आठ करोड़ का बजट स्वीकृत होने के बावजूद लगाए नहीं जा रहे हैं। इस पर जस्टिस व्यास ने पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए कि बजट आया है तो सीसीटीवी कैमरे लगाकर आयोग को चार सप्ताह में अवगत कराएं।

सूरसागर दंगे के संबंध में सीआईडी को प्रतिवेदन देने के निर्देश

परिवादी अनवर हुसैन ने वर्ष 2017 में हुए सूरसागर दंगों में पीड़ितों को मुल्जिम बनाने का मुद्दा उठाया। अभी तक मौका-मुआयना नहीं किया गया। आयोग ने सीआईडी सीबी को प्रतिवेदन पेश करने तथा मामले में 17 मार्च को अगली सुनवाई रखी है।